उनके रख-रखाव के लिए प्रदान की है। इस मंत्रालय में राज्य राजकोष से राज्य सरकार द्वारा किए गए खर्चों का ब्यौरा नहीं रखा गया है।

(ग) मध्य प्रदेश के वन विभाग से सूचना एकत्र की जा रही है।

(घ) जी, नहीं। इस समय भारत सरकार के पास मध्य प्रदेश में हाथी अभयारण्य बनाने हेतु कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय के कर्मचारी की हत्या

2287. **श्री जनेश्वर मिश्र:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 जून, 1995 के "नवभारत टाइम्स" में "मुंशी राम की हत्या की गुत्थी नहीं सुलझी" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने हत्यारों की पहचान करने और उन्हें तत्काल पकड़ने के लिये किसी जांच दल का गठन किया है;

(ग) क्या यह सच नहीं है कि मुंशी राम की हत्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय में व्याप्त भ्रष्टाचार का ही नतीजा है;

(घ) इस हत्याकांड में अभी तक पुलिस द्वारा की गयी जांच के संबंध में पूर्ण ब्यौरा क्या है; क्या सरकार जांच कार्रवाईयों से संतुष्ट है या सरकार केन्द्रीय जांच ब्यूरो से मामले की जांच कराना चाहती है; और

(ङ) इसका तथ्यात्मक ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० सईद): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) से (ङ) थाना नन्द नगरी में 18 मार्च, 1995 को भा०द०सं० की धारा 302 के तहत एक मामला दर्ज किया गया था तथा दिल्ली में उत्तर-पूर्वी जिले के अपराध प्रकोष्ठ द्वारा जांच पड़ताल शुरू की गई।

अब तक की गई जांच पड़ताल से पता चला है कि मृतक विवेक विहार, दिल्ली के०स०स्वा०सेवा औषधालय में चपरासी के रूप में कार्यरत था तथा पिछले 15 वर्षों से दिल्ली में अकेला ही रह रहा था। मृतक ने अपनी पत्नी, बच्चों तथा अपने नगर वाले खानदानी घर को कई वर्ष पहले ही छोड़ दिया था। बताया गया है कि मृतक अफीम का नशा करता था और चरित्रहीन था।

यद्यपि मृतक ने के०स०स्वा० सेवा औषधालय के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के खिलाफ कुछ शिकायतें की थीं, लेकिन जांच पड़ताल में अब तक हत्या और जिस अधिकारी के विरुद्ध शिकायत की गई है, के बीच किसी प्रकार का संबंध सिद्ध होने के बारे में कोई पता नहीं चला है।

यह मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

Capacity of ITI

2288. SHRI S. JAIPAL REDDY: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the I.T.I. Ltd. set up in 1948 for producing equipments as required by the Department of Telecom (DOT) has now acquired capacity of annually producing about Rs. 3000 crores worth of telecom equipments;

(b) whether it is also a fact that the order book position of the I.T.I. Ltd. for the year 1995-96 is at a very low level of nearly 360 crores;

(c) if so, why the DOT has not placed adequate orders on the I.T.I. Ltd. for enabling it to achieve full capacity utilisation; and

(d) what specific steps Government propose to take for ensuring that the I.T.I. Ltd. will not turn "sick"?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU): (a) Production capacity is defined in terms of quantity of finished products. Since pricing of equipments is subject to the process of tendering, capacity of ITI in financial terms cannot be accurately quantified.

(b) For the year 1995-96, apart from the firm orders of about Rs. 430 crores at present LOI/APO's to the extent of about Rs. 560 crores are also available with ITI Ltd.

(c) and (d) Securing adequate orders and their suitable execution in the